न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–106/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00266)

1. लल्लूराम पुत्र प्रभातीलाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. रूकमणी देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी मोहनलाल उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. लल्ली देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी स्व. ग्यारसीलाल, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
03. शशिकान्त पुत्र स्व. जानकी देवी पत्नी मुरलीधर,
04. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 जनकी देवी पत्नी मुरलीधर,
05. राजेन्द्र पुत्र स्व0 जानकी देवी पत्नी मुरलीधर,
06. कृष्णा पुत्री स्व0 जानकी देवी पत्नी मुरलीधर,
07. शान्तिदेवी पुत्री चिमनाराम पत्नी स्व0 कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
08. बाबूड़ी पुत्री चिमनाराम पत्नी सत्यनारायण, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बुद्धराम खानड़ा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
09. बिदाम देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी स्व. गणपतलाल, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. गीता देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी श्रीकृष्ण, निवासी ग्राम हाथनौदा तहसील चौमू, जिला जयपुर।
11. ग्राम पंचायत खोराश्यामदास, जरिये सरपंच,
12. तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–126/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00220)

1. लल्लूराम पुत्र प्रभातीलाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. रूकमणी देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी मोहनलाल उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. लल्ली देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी स्व. ग्यारसीलाल, निवासी ग्राम रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
03. शशिकान्त पुत्र स्व. जानकी देवी पत्नी मुरलीधर,
04. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 जनकी देवी पत्नी मुरलीधर,

08. बाबूड़ी पुत्री चिमनाराम पत्नी सत्यनारायण, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बुद्धराम खानड़ा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
09. बिदाम देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी स्व. गणपतलाल, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. गीता देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी श्रीकृष्ण, निवासी ग्राम हाथनौदा तहसील चौमू, जिला जयपुर।
11. ग्राम पंचायत खोराश्यामदास, जरिये सरपंच,
12. तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 29.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें क्रमशः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 27.03.2018 (प्रकरण संख्या 152017) एवं न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 12.04.2018 (प्रकरण संख्या 42/18) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा क्रमशः 76 व 75 के तहत प्रस्तुत की गई। चूँकि दोनों अपीलों में वादग्रस्त आराजी एक ही है इसलिये दोनों अपीलों का निस्तारण एवं निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुरा के यहॉ नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 15.11.1978 के विरूद्ध यह कहते हुये प्रस्तुत की कि चिमनाराम पुत्र किशनाराम, ग्राम खोराश्यामदास का देहान्त दिनांक 02.09.1978 को हो गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10 चिमनाराम की पुत्रीयॉ है लेकिन नामान्तरकरण भूरीदेवी पत्नी चिमनाराम के नाम ही खुल गया और इसकी जानकारी अपीलार्थी को नही हुई और तत्कालीन सरपंच की उपस्थिति में कोरम के अभाव में उप सरपंच द्वारा नामान्तरकरण खोल दिया गया जो गलत है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10 चिमनाराम की पुत्रीयॉ है, वर्तमान अपीलार्थी ने दिनांक 11.10. 2017 को धमकी दी कि चिमनाराम की भूमि खाली कर दो, मैने तुम्हारी मॉ से खरीदकर जमीन मेरे नाम दर्ज करा ली है, अपीलार्थी जो उपखण्ड अधिकारी के यहॉ प्रत्यर्थी था ने आपत्ति प्रस्तुत की और स्पष्ट किया कि चिमनाराम पुत्र किशनाराम की मृत्यु दिनांक 02.09.1978 को हो गयी और उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 85 राजस्व अभियान में पंचायत की कोरम मिटिंग में चिमनाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी पत्नी भूरी के नाम खोला गया और भूरी द्वारा हस्तान्तरण कर दिये गये और उन

नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 07.09.1989 को खुल गया और अपीलार्थी के नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 19.12.1989 को खुल गया, रामकुंवार के वारिसान ने भूमि का दीगर लोगों को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 27.01.1990 को खुल गया और उन सभी खातेदारों को पक्षकार भी नही बनाया और नामान्तरकरण में हुऐ हस्तान्तरणों को चुनौती नही दी जा सकती, मियाद बाहर अपील पेश की है लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ने नामान्तरकरण संख्या 85 के विरूद्ध अपील 27.03.2018 को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 85 पर उप सरपंच ग्राम पंचायत खोराश्यामदास द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.1978 को निरस्त किया गया है तथा प्रकरण तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 27.03.2018 की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 42/2018 उनवानी रूकमणी बनाम ग्राम पंचायत खेराश्यामदास दिनांक 02.04.2018 को दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये व पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई तथा पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 09.04.2018 नियत की गई, दिनांक 09.04.2018 को अपीलार्थी की ओर से अपने अभिभाषक का वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रत्यर्थीगण के बयान नोट किये गये तथा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.04.2018 नियत की गई तथा दिनांक 10.04.2018 को अपीलार्थी के बयान दर्ज किये गये व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेज शामिल किये गये तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.04.2018 नियत की गई तथा दिनांक 12.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा मृतक चिमनाराम के विधिक वारिसों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित मानते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया जिसकी पालना में उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 869 प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध दिनांक 13.04.2018 को तस्दीक किया गया लेकिन तहसीलदार ने जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेदारों को पक्षकारों बनाये बिना अपीलार्थी के द्वारा आपत्ति दिनांक 09.04.2018 प्रस्तुत की और दिनांक 10.04.2018 को बयान कराये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण की अपील में ही भूमि के बेचान का नजरअन्दाज कर प्रत्यर्थी के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिया है, जो सरासर अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार चिमनाराम की मृत्यु होने पर पटवारी व गिरदावर हल्का ने चिमनाराम के कोई औलाद ना होना व उसकी पत्नी भूरीदेवी मौजूद होना

साबित नही है कि रेस्पोडेन्ट चिमनाराम की पुत्रीयॉ है और उक्त तथ्य इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि चिमनाराम की मृत्यु सन् 1978 में होने के बाद सन् 2017 तक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विवादित आराजीयात बाबत कोई भी कार्यवाही नही की गई है जबकि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10 चिमनाराम की पुत्रीयॉ होती तो निश्चित रूप से चिमनाराम की मृत्यु के समय विरासत के नामान्तरकरण में उनका नाम अंकित हो जाता लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा झूॅठी कहानी अपीलार्थी की भूमि को हड़प करने के बाबत रची गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भूरी देवी द्वारा अपने नाम की भूमि का विक्रय अपीलार्थी व रामकुंवार के वारिसान को किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 85 को चुनौती दी गई उसमें मात्र अपीलार्थी को ही पक्षकार बनाया गया तथा शेष खातेदारों व पक्षकारों को पक्षकार नही बनाया गया जिससे भी साबित है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा जो अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई उसमें सभी पक्षकारों पक्षकार ना बनाकर झूंठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई जबकि प्रत्यर्थीगण को सभी तथ्यों की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूरी देवी द्वारा विवादित आराजी का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया है उसके उपरान्त विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी गई है तथा जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 17.11.1989 को अपास्त नही किया जाता है तब तक उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण को भी निरस्त नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 एवं तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 12.04.2018 दिनांक को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 10 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 की माता जानकीदेवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार चिमनाराम की पुत्रीयॉ है जो प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार चिमनाराम पुत्र किशनाराम की मृत्यु होने पर मृतक चिमनाराम की विरासत जरिये नामानतरकरण संख्या 85 निर्णय दिनांक 15.11.1978 को विधि विरूद्ध रूप से चिमनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान रेस्पोडेन्ट्स को छोड़कर मात्र चिमनाराम की पत्नी भूरी बेवा

आगे कथन किया है कि तत्कालीन सरपंच की अनुपस्थिति में बिना कोरम के उप सरपंच द्वारा नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहिन स्वीकार किया गया, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार चिमनाराम की मृत्यु दिनांक 02.09.1978 के बाद की पंचायत मीटिंग्स में विरासत का नामान्तरकरण बाबत जानकारी करने पर पंचायत सचिव ने अवगत करया कि दिनांक 15.11.1978 को उप सरपंच द्वारा चिमना राम की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जिसके बाबत दिनांक 12.12. 1978 की मीटिंग में एतराज दर्ज हुआ है लेकिन नामान्तरकरण की नकल भू–अभिलेखागार जयपुर स्थित कलक्ट्रेट कार्यालय से मिलने की बात कही तथा पंचायत की प्रतिलिपि दिनांक 11.10.12017 को ही प्रदान कर दी गई जिसका अधिवक्ता को अवलोकन करवाने पर उन्होने नामान्तरकरण की प्रतिलिपि अभिलेखागार से लाने हेतु राय दी जिसके आधार पर दिनांक 25. 10.2017 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर प्रथम बार दिनांक 25. 10.2017 को नामान्तरकरण दिनांक 15.10.2017 की पूर्ण जानकारी हुई, उक्त नामान्तरकरण की प्रतिलिपि दिनांक 25.10.2017 को प्राप्त होने पर अधिवक्ता से मिलकर निर्णय की जानकारी दिनांक 25.10.2017 से अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुऐ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण दिनांक 15.11.1978 में ग्राम खोराश्यामदास के मात्र तीन नामान्तरकरण, नामान्तरकरण संख्या 78, 79, 80 ही तस्दीक किये गये थे लेकिन कार्यवाही रजिस्टर में उप सरपंच ने कांटा–छांटी कर नामान्तरकरण संख्या 3 के स्थान पर 8 कर दी तथा उसके बाद भी एक और जोड़कर कुल नौ नामान्तरकरण तस्दीक होना अंकित कर दिया जिससे यह सपष्ट है कि ग्राम पंचायत की मीटिंग दिनांक 15.11.1978 के पश्चात् उप सरपंच ने द्वेषतापूर्वक क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रजिस्टर में कांटा–छांटी कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया तथा कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 12.12.1978 की कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15. 11.1978 को उप सरपंच की अध्यक्षता में कार्यवाही हुई, उस पर असंतोष प्रकट करते हुए सभी सदस्यों ने सदन को अवगत किया किया कि कुछ नामान्तरकरण गलत तस्दीक हुऐ है जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन उप सरपंच ने विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट हकों के खिलाफ प्रभावशून्य नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं उक्त क्षेत्राधिकार विहिन व विधि विरूद्ध नामान्तरकरण को चनौती देने हेत मियाद

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 की पालना में तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा प्रकरण दर्ज करके एवं प्रकरण से सम्बन्धित सभी पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर अपना आदेश दिनांक 12.04.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की दोनों अपीले खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 85 वाके ग्राम खोराश्यामदास की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक चिमनाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त खातेदार की मृत्यु होने एवं खातेदार के कोई औलाद ना होने पर खातेदार की पत्नी भूरी बेवा चिमनाराम के नाम नामान्तकरण दिनांक 15.11.1978 को तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 7, 8 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 की माता जानकी देवी द्वारा असाधारण विलम्ब से लगभग 39 वर्ष बाद दिनांक 06.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 85 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जबकि उक्त नामान्तरकरण के पश्चात् तो वादग्रस्त आराजी का बेचान होकर क्रेता के नाम नये नामान्तरकरण तस्दीक किये जा चुके है एवं उक्त नामान्तरकरणों इत्यादि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट नामान्तरकरण की फिस्कल कार्यवाही से वादग्रस्त आराजी में अपना हक, हकूक, अधिकार तय नही करवा सकते, यदि रेस्पोडेन्ट्स के वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के कोई हक, हकूक, अधिकार निहित होते है तो इसके लिये उन्हे कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में समक्ष न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करानी चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 27.03.2018 के विरूद्ध अपील संख्या 106/2018 उनवान लल्लूराम बनाम रूकमणी न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन होने के दौरान ही तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 02.04.2018 को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की शुरू की गई जिसमें प्रथमतय तो अपीलान्ट की सम्यृक रूप तो तामील नही करवाई गई है द्वितीय अपीलान्ट जब तहसीलदार आमेर के समक्ष दिनांक 10.04.18 को इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्बन्धित तामील कुलिन्दा के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया है जबकि दिनांक 10.04.18 को तहसीलदार आमेर की आदेशिका में अपीलान्ट लल्लूराम के बयानादि कलमबद्ध कर शामिल मिसल [illegible] में लिया है लेकिन तहसीलदार आमेर की

जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार आमेर द्वारा प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 एवं तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 विधि सम्मत प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 एवं प्रकरण में तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2018 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 85 वाके ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर पर उप सरपंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.1978 को बहाल किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।